न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर अलवर(राज.)

अपील संख्या 12/162/2022

कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांकः 2022/491

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
सुश्री बीना कंवर पुत्री स्व. श्री चंवरसिंह, ग्राम व पोस्ट–बडेर, तह. मालाखेडा (अलवर)		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर

प्रवेश तिथि :: 10.11.2022

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 06.12.2022

1. उभयपक्ष अनुपस्थित।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांकः 27.07.2022 के माध्यम से प्रत्यर्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर जिला स्तरीय जनसुनवाई दिनांकः 16.06.2022 एवं दिनांकः 21.07.2022 में प्रस्तुत परिवाद के संबंध में की गई कार्यवाही संबंधी बिन्दुवार सूचना/दस्तावेजी प्रमाणित प्रति चाही गई थी।
4. प्रत्यर्थी द्वारा उक्त सूचना आवेदन पर किसी प्रकार के विनिश्चय/सूचना से अपीलार्थी को अवगत नहीं कराए जाने के कारण इस न्यायालय को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
5. उक्त प्रथम अपील के अनुक्रम में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर जवाब चाहा गया।
6. प्रत्यर्थी की ओर से उनके क्षेत्राधीन संबंधित अनुभाग से सूचना प्राप्त कर अपीलार्थी को प्रेषित करते हुए प्रति जरिये पत्र सं. 2766 दिनांकः 24.11.22 इस न्यायालय को भी पृष्ठांकित की गई।
7. प्राप्त जवाब मय संलग्नक दस्तावेजात् व अपील में उठाये गये तथ्यों का परीक्षण किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी के सूचना आवेदन दिनांकः 27.07.2022 के परिप्रेक्ष्य में अधिनियम के विधिक प्रावधानों के आलोक में पत्र सं0 2437 दिनांकः 18.10.22 के माध्यम से विनिश्चय कर 39 पृष्ठीय सूचना प्रेषित की जा चुकी है।
8. इस प्रकार प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी के RTI आवेदन दिनांकः 27.07.22 के परिप्रेक्ष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) में विहित समयावधि में विनिश्चय नहीं किया जाकर विलम्ब से सूचना का प्रेषण किया गया है जो अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है।
9. तथापि प्रत्यर्थी द्वारा प्रेषित सूचना उचित एवं पर्याप्त है। अतः **अपील अस्वीकार की जाकर खारिज** की जाती है। साथ ही प्रत्यर्थी को इसके माध्यम से निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में RTI आवेदनों का सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) में विहित समयावधि में ही विनिश्चय किया जाना सुनिश्चित करावें।
10. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
11. आदेश दिनांक 06.12.2022 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर (राज.)